कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री रामजी लाल मीना पुत्र स्व0 श्री मूलचंद मीना, निवासी ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपील सं0 11/2018

निर्णय दिनांक : 21.03.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा से दिनांक 11.12..2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा से वॉछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उनको पुनः इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/591 दिनांक 06..03.2018 द्वारा स्मरण–पत्र जारी किया गया। किंतु लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा